

न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज.

प्रकरण संख्या - 12/2023

तारीख रजू/ 28.06.2023

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मथुराहेडा

बनाम

लल्लू पुत्र श्री मनोहरी कौम गुर्जर निवासी अजीतपुरा

निर्णय

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

निर्णय दिनांक :- 17.07.2023


पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अजीतपुरा की आराजी खसरा नम्बर 163/350 कुल रकबा 0.04 हेक्टर किस्म जमीन बंजड में से 0.02 हेक्टर रकबे पर श्री लल्लू पुत्र श्री मनोहरी गुर्जर ने अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर तारबन्दी कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मथुराहेडा द्वारा दिनांक 28.06.2023 को अतिक्रमण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरीक्षक टीटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमण श्री लल्लू पुत्र श्री मनोहरी कौम गुर्जर निवासी अजीतपुरा को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। मामला बंजड पर अतिक्रमण करने तथा उसका रास्ता पूर्ण रूप से बन्द करने का है, जो संवेदनशील है। इसलिए प्रकरण में आज दिनांक 17.07.2023 को मौके पर जाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए की गई। मौके पर ही अतिक्रमियों को सुना गया।


उक्त रकबा आराजी खसरा नम्बर 163/350 कुल रकबा 0.04 हेक्टर किस्म जमीन बंजड है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.04 रुपये का 50 गुणा 2 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। हल्का पटवारी को पैनलटी राशि वसूल कर राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते हैं। मांग कायमी हेतु टीआए कार्यालय हाजा को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी मथुराहेडा, भू.अ.निरीक्षक टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श. व. सं. 4 व 1 व सं. 1-28. 2023 नं. 12

दि 2023-07-24 गवर्नर कार्यालय कठूमर

को कार्यालय की परी


तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)


तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)